

जम्मू ज्वान्मी गल्फे बस्त डिंक 25-01-22 को  
का हो।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (दौसा)

कोविड-19 के कारण

आज पत्रावली पेश हुई। वकीलो ने कार्य स्थागित  
कर रखा है। पत्रावली वास्ते.....को पेश.....  
दि. 09.03.22.....को पेश हैं।

25-01-22

*July*

09-03-2022

पत्रावली पेश हुई वसिल जर्शी उपस्थित हुए।  
एकपक्षीय बचल चुकी गई। पत्रावली वास्ते  
आदेश डिंक 16-03-2022 को पेश हो।

16/03/22

पत्रावली पेश हुई। आदेश सुनाया गया।  
जाकीशान प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी  
दि. नं 107/0.81 है कोके गाम अलापुर के  
खारेडार है। एकर अजाकीशान वाक्य  
सुचना के व्यापक्य में उपस्थित नहीं  
आये। जाकीशान के अपलोकर से की  
स्पष्ट है कि विदाति आराजी के  
अपकीशान का कोई संबंध सपेकार  
नहीं है। अतः प्रमाण उत्पना प्रमाण  
सापमान के पत्र में साबित है।  
- इसी सापमान विदाति आराजी के  
रिकाउस खारेडार साइरकार है।

*July*

# न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज  
 बनाम  
 मु. सं.

सुप्रीमा सर्वोच्च न्यायालय के पत्र  
 में ही कोर्ट मंडि कोर्ट सायमान विवाद  
 भारतीय के इस्का डेटे है तो सायमान  
 को अग्रणीय स्थिति संभावित है।

अतः आदेश है कि कोर्ट सायमान  
 को विकसित भारतीय प्रसंग 187  
 नंका 0.81 है. वकि आप अलायड तद.  
 गदका मे डोवे के कैसले तक मोंके  
 की प्रभा स्थिति बनाये रखने व निर्माण  
 नही करने व सायमान के इस्का - अर्थ  
 मे इस्का व उपवधान पैडा नही  
 करने हेतु पाबन्द किया जाता है।  
 फैसला एने कायम मे सुनाया  
 गया। पत्रावली कैसल सुनार डेक  
 इतिहास सुनकाड रहे।

*Jml*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 महवा जिला दोसा